

*The Enacting Formula, as amended,  
was added to the Bill.*

**Title**

**MR. SPEAKER:** The question is:

"That the Title stand part of the Bill."

*The motion was adopted.*

*The Title was added to the Bill.*

**SHRI CHAND RAM:** I beg to move:

"That the Bill, as amended, be passed."

**MR. SPEAKER:** The question is:

"That the Bill, as amended, be passed."

*The motion was adopted.*

**PROF. P. G. MAVALANKAR** (Gandhinagar): Minister of Works and Housing is not present. (Interruptions) Where is the next Minister? He has come. Let us adjourn for Lunch.

**MR. SPEAKER:** You have accepted that. What can I do?

**PROF. P. G. MAVALANKAR:** People are under this impression that there will be lunch hour. Kindly adjourn the House for an hour.

13.24 hrs.

[**DR. SUSHILA NAYAR** in the Chair]

**MR. CHAIRMAN:** I put it to the House whether lunch hour be suspended.

**SEVERAL MEMBERS:** Yes.

**MR. CHAIRMAN:** So, there is no lunch hour. That is what the Speaker's told me to ask you.

**PROF. P. G. MAVALANKAR:** Lunch hour was suspended earlier. Now it is being restored. We want to restore the lunch hour.

**MR. CHAIRMAN:** If it is agreeable then, those in favour may please say 'Aye'.

**SOME HON. MEMBERS:** Aye.

**MR. CHAIRMAN:** Those against may please say 'No'. There is no one against. The motion is carried. We adjourn now and we will meet again at 2.25 P.M.

13.25 hrs.

*The Lok Sabha adjourned for Lunch till Twenty-five Minutes past Fourteen of the Clock.*

*The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Thirty-four Minutes past Fourteen of the Clock.*

[**DR. SUSHILA NAYAR** in the Chair]

**PUBLIC WAKFS (EXTENSION OF LIMITATION) (DELHI AMENDMENT) BILL**

**MR. CHAIRMAN:** Now, Shri Sikan-dar Bakht.

**THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT):** With your permission, Madam Chairman I beg to move:

"That the Bill further to amend the Public Wakfs (Extension of Limitation) Act, 1959, as in force in the Union Territory of Delhi, as passed by Rajya Sabha be taken into consideration."

Madam Chairman, the Wakf Act of 1954 was made applicable to Delhi by the Wakf (Amendment) Act, 1959. The partition of the country had created a problem relating to the management of Wakf properties. To save the title of these properties from being lost on account of being in adverse possession for more than 12 years, the Public Wakfs (Extension of Limitation) Act 1959 was enacted to extend upto the 15th August, 1967 so that the Wakf Boards constituted under the Wakf Act, can institute suits for recovery of such wakf properties. On account of inability of Wakf Board to complete

[Shri Sikandar Bakht]

survey of property, the period of limitation was further extended twice by the Government one in 1967 and the other in 1969. In spite of these extensions, the request for further extension of limitation kept coming in. Considering that it may not be possible to extend the period of limitation for all the States, the State Wakf Boards were advised to approach their respective Governments for further extension. In the case of Delhi, the period of limitation was extended first upto 31st December 1972 by the Extension of Limitation Act, 1972 and then again upto 31st December, 1975 by the Public Wakfs (Extension of Limitation) (Delhi Amendment) Act, 1974. The Delhi Wakf Board again approached the Delhi Administration on 18th December 1975 for further extension of the period of Limitation. They said that they were not in a position to file the suit against the unauthorised occupants of the wakf properties in Delhi and the survey of all the properties has not been completed. As the survey is still required to be completed, it is not possible to know the exact number of wakf properties under unauthorised possession. For this purpose, the provisions of the Public Wakfs (Extension of Limitation) Act, have to be invoked. I therefore request that the Bill may be taken into consideration.

MR. CHAIRMAN: Motion moved.

"That the Bill further to amend the Public Wakfs (Extension of Limitation) Act, 1959, as in force in the Union territory of Delhi, as passed by Rajya Sabha be taken into consideration."

SHRI G. M. BANATWALLA (Ponnani): Madam Chairman we have before us Wakfs Bill in order to extend the limitation in the Public Wakfs (Extension of Limitation) Act. It is most unfortunate that in spite of the lapse of such a long period, even the survey has not been completed, not to speak of the restoration of the properties which are in adverse possession. This

is a very sad commentary on the management of the Wakfs properties. I must therefore emphasise the necessity to move both with sincerity and speed in the matter of completion of this survey. The hon. Minister has not sought to take this House into confidence as to what are those difficulties because of which even a survey has not been completed. My whole purpose of rising today is to emphasise this fact and that justice delayed is justice denied. And it is necessary that proper steps should be taken with speed and with sincerity. Let us know what are those difficulties because of which the survey has not been completed. Every time the Government coming before this House and asking for extension of limitation of the period because the survey has not been completed is rather an unfortunate occasion. Then, I must say let us hope from our new Minister and let him assure us as to how much more time will be needed for the completion of survey; and then secondly also have expeditious move in order to see that all these adverse possession are put an end to. It is very unfortunate that the properties of several mosques and others are still under adverse possession and I hope that the matter will be taken up with necessary speed. I need not dilate further upon this particular subject.

There is one more point which I have to place briefly before the House. The Public Wakfs Act requires a number of changes. There is need for comprehensive amendment to the entire Act. Let there not be mere piecemeal amendments. I understand there was already an enquiry committee to go into the whole question thoroughly and to report about the necessary amendments required in the Act. It is surprising and shocking that the committee took unduly long time a period of seven years, to suggest what changes were needed in the Act. After taking such a long time, after the committee members had moved throughout India and I should say, wasted a lot of time and money and after spending

a long period of seven years merely to suggest a change in the Act despite all that the matter hangs in the balance. Let us therefore know what is there in the mind of the hon. Minister with respect to the comprehensive amendments to the Public Wakf Act in order to make it effective and remove various difficulties and to see that the whole board also functioned smoothly and performed the functions for which they were put up. I hope the points that I had raised will receive due consideration.

I want an assurance from the hon. Minister about a time bound programme with respect to the completion of the survey and an end to adverse possession of the properties of the wakfs and secondly, an assurance with respect to a comprehensive amendment of the Public Wakf Act.

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजाबाद) : सभापति जी, वृत्ति वक्फ बोर्ड का मामला है इस वास्ते मैं उर्दू में बोलना चाहता हूँ। इतने जमाने के बाद भी सर्वे मुकम्मिल नहीं हुआ है इसकी जिम्मेदारी या तो वक्फ बोर्ड पर है, या जो स्टेट्स के वक्फ बोर्ड है उन पर है। तो आप किसी न किसी के ऊपर जिम्मेदारी मुकम्मिल कर के काम कीजिए अगर वक्फ बोर्ड में मोमिनेशन करते जायेंगे, कोई काम नहीं करेगे बल्कि पैसा इधर उधर खर्च करेंगे और धाखिर में उनका कोई काम नहीं होगा और एक बार एक्सटेशन हुआ, दूसरी बार एक्सटेशन मिला, तीसरी बार मिला, इस तरह से कब तक चलेगा। इसको कभी न कभी रोकना चाहिए।

इस बीच में जो वक्फ प्रोपर्टीज हैं जब सर्वे ही नहीं हुआ है कि आपकी कितनी जायदाद है, यह जानूँ ही नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत से लोग नाजायज कब्जा किए हुए होंगे। तो उनको फायदा हो रहा है। नाजायज कब्जा जब किसी का हो जायगा तो उसको निकालने के वास्ते या तो प्रजियारात वक्फ बोर्ड को होंगे या गवर्नमेंट को हूँ

या नहीं, मुझे पता नहीं। और उसके वास्ते कानून पास करना पड़ता है। क्योंकि कानून किसी को नाजायज कब्जे से बेदखल नहीं करता है। बेदखल करने वाला ऐंजी-क्यूटिव अफसर होता है। तो क्या ऐंजी-क्यूटिव अफसर को पूरी पाबन्दी है? मेरे जिले में बहुत से ऐसे मामले सामने आये हैं, और बाज वक्त जब निकालने की कोशिश करेंगे तो लोग गलत किस्म की अफवाहें फैलाते हैं। वक्फ बोर्ड का जो चेयरमैन होता जब कभी सर्वे करके देगा तो ऐंजी-क्यूटिव अफसर, कमिश्नर कलेक्टर जो भी जिले का होता है उसकी फोरन ऐक्शन लेना चाहिए क्योंकि देर करने से कई किस्म की अफवाहें फैलती हैं। तो इस वास्ते अपने जमाने में मेहरबानी कर के इन वक्फ प्रोपर्टी का पूरा सर्वे जल्दी कराइये और उसके वास्ते कितना टाइम लगेगा, यह भी फरमाइये और उस टाइम पर पूरी पाबन्दी से इसारर कीजिए। अगर एक बोर्ड काम नहीं करता है तो फोरन उस बोर्ड को निकालकर और बोर्ड बनाइये, लेकिन पोलिटिकल लैबल पर वक्फ बोर्ड न बनाइये। जो खुदा का खौफ रखते हैं, ईमान रखते हैं, उनको बोर्ड में लीजिए ताकि अच्छा काम हो सके।

मैं समझता हूँ कि हमारे आन्ध्र प्रदेश और जिले में अच्छा काम हो रहा है, उसको मिसाल के तौर पर लिया जा सकता है। मेहरबानी कर के आप तफसील से इसकी इन्क्वायरी कराकर जल्दी से जल्दी इसका इतजाम कराइये, यह आपकी ड्यूटी है, लोग आपको अहसान को मानेंगे।

आप अच्छा काम करते हैं, मैं आपको इस मुबारक कदम से लिये मुबारकबाद देता हूँ।

SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU (Chittoor): Madam Chairman, with regard to these wakf boards and wakf properties, I would tell the Minister that they are not being properly managed and the properties which are in the States i.e. at many places, are not

[Shri P. Rajagopal Naidu]

being surveyed and they are not gazetted. Even when the muslims send petitions to the wakf boards, the wakf boards are not taking interest, they are not taking cognisance, with the result they are not getting all these things surveyed and gazetted. I know in my own place—Aragunda Venkatagiri and so many places—the wakf properties are in other hands I do not know why these things are not being surveyed. Therefore, I want to suggest to the Minister that the Wakf Board Act must be revised in such a way that it is quite possible for anybody who manages them to get all the properties surveyed and gazetted.

SHRI VASANT SATHE (Akola):  
Will you give us an assurance of a time-bound programme to bring forward the amendments

श्री सिकन्दर बख्त मैडम चेरमैन, जिस चीज के लिये मैं खास तौर से इस हाउस के सामने हाजिर हुआ हूँ वह बहुत ही सीमित और महदूद मकसद के लिये है। कुछ बातें इस मौजूदा बिल की सीमा के बाहर की हैं, लेकिन बुकिंग मेम्बरो ने कुछ कर्सेन का इजहार किया है, मैं उनके मूतालिक भी कुछ न कुछ अर्ज करना चाहूँगा।

यों तो वक्फ की सर्वे पूरी नहीं हुई है, इसका एतराफ करने के बाद ही यह प्रकटेष्टेशन का बिल लेकर मैं खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। वह क्यों नहीं हुआ, मैं इसके लिये सिर्फ रिजेंट कर सकता हूँ, वजह तो सिबाय मुस्ती और काहिली के और क्या हो सकती है। मुझे अफसोस है, ऐसा नहीं होना चाहिये था। मैं आनरेबल मेम्बर, की तजवीज में इतिफाक करता हूँ हालाँकि यह मामला लोकल स्टेट बोर्डिंग का और स्टेट गवर्नमेन्ट का है, लेकिन सेंट्रल वक्फ बोर्ड कोशिश कर रहा है कि वह नियरानी रखे ताकि यह काम जल्दी हो, और टाइम वाउन्ड की बात को तो यह बिल सीक ही कर रहा है कि 1980 तक के लिये इसको एक्सटेंड किया जाये।

डा० सक्ती नारायण पांडेय (मंबसाँर):  
समापति महोदया, स्टेट्स के वक्फ बोर्ड के चुनाव हुए वर्षों हो गये, कोई ध्यान ही नहीं देता है। उसके कारण वक्फ से सम्बन्धित सारी प्रापर्टीज को नुकसान हो रहा है। बराबर उसका धाराबू भी किया जाता है, लेकिन फिर भी उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। सेंट्रल वक्फ की भी यही दशा है।

समापति महोदय आप इस समय उनको इन्ट्रुप्ट करने की जगह जब इस पर बड़े रीडिंग हो, तो बोलिये।

श्री सिकन्दर बख्त : मैं उनकी परेशानी दूर कर दूँ कि वक्फ बोर्ड जो है। ये एकट के मातहत बनाये जाते हैं और उनके लिये समय मुकर्रर है और उस समय के बाद बनाना ही होता है। उसके बाद कोई चारा नहीं है। मेरे नोटिस में कम-से कम ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी जगह कोई वक्फ बोर्ड मुकर्रर समय से ज्यादा रुका हुआ है।

एक आनरेबल मेम्बर ने कहा था कि वक्फ इन्व्हायरी कमेटी जो मुकर्रर को गई थी फार एनथ्रीहेसिब वक्फ एक्ट, तो मैं अर्ज करना चाहूँगा कि उनकी रिकर्मेंडेशन हासिल की गई है जो कि अड्ड एक्जामिनेशन है और खास तौर पर उसमें दो पहलू देखने की जरूरत है कि कौनसी बात ऐसी है कि जिसके इन्ट्रोड्यूस करने से कोई कास्टीट्यूशनल कांटेडिक्शन न हो या कोई लीगल डिफिकल्टी पैदा न हो। वह जेरे गौर है। अब यह तो मैं अभी नहीं कह सकता, अगर मुझे मालूम होता कि गर करने की भी मियाद मुकर्रर होती है तो जरूर कर सकता था।

दूसरी बात यह कह रहा था कि हमारे आनरेबल मेम्बर, ने कहा कि एग्जीक्यूटिव आफिसर के पास इन किस्म की ताकत होनी चाहिये कि बगैर अव्वालती कार्यवाही के वह अगर एडवर्न पोजीशन में जायदाद हो, तो वह मुक्त करा सके। यह मुमकिन नहीं है, क्योंकि कानूनी दिक्कतें हैं।

इसलिये यह एक्सटेंशन आफ लिमिटेशन के लिये हम आकांक्षा यहाँ खिदमत में हाजिर हुए हैं। धर्मागत में मुकदमा दायर करना होता है कि एडवर्स पोजीशन है। अब 12 बरस से ज्यादा का एडवर्स पोजीशन न हो, उसके लिये यह एक्सटेंशन आफ लिमिटेशन की दरखास्त लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। मैं चाहे तोर पर तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन यह यकीन जरूर दिलाया चाहता हूँ कि दिल्ली में दोबारा एक्सटेंशन की जरूरत न पड़े, उस के लिए पूरी जहो जहद, कोशिश और निगरानी की जायेगी।

श्री जी० एम० बनतवाल : यह तो मुबहम जवाब है।

श्री सिकन्दर बख्त बिलकुल मुबहम नहीं हैं। मैंने 31 दिसम्बर, 1980 तक के लिए एक्स-टेंशन की दरखास्त की है? हालांकि यह दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन और दिल्ली स्टेट बक्क बोर्ड का काम है, लेकिन मैंने अर्ज किया है कि जेदल बक्क काउंसिल इस की निगरानी करेगी, ताकि दोबारा इस की एक्सटेंशन न होने पाये।

श्री वसन्त साठे (अकोला) : कौन सरवे कर रहा है ?

श्री सिकन्दर बख्त : दिल्ली में बक्क कमिश्नर कर रहे हैं।

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill further to amend the Public Wakfs (Extension of Limitation) Act, 1959, as in force in the Union territory of Delhi as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: There are no amendments. I shall now put clause 2 and clause 1 to the vote of the House. The question is:

"That clauses 2 and 1 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 and 1 were added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the Enacting Formula and the Title to the vote of the House.

The question is

"That the Enacting Formula and the Title stand part of the Bill."

The motion was adopted.

The Enacting Formula and the Title were added to the Bill

SHRI SIKANDAR BAKHT: Sir, I beg to move:

"That the Bill be passed."

MR CHAIRMAN: Motion moved.

"That the Bill be passed"

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय (मन्दीर): सभापति महोदय, जैसा कि श्री साठे ने कहा है, क्या मंत्री महोदय कोई समय-सीमा तय कर सकते हैं कि कमिश्नर कब तक इस कार्य को पूरा कर देंगे या 1980 के बाद और समय नहीं बढ़ाया जायगा। विभिन्न राज्यों में बक्क बोर्ड ठीक तरह से काम नहीं कर रहे हैं। क्या मंत्री महोदय कृपा कर के यहाँ से निर्देश देंगे, ताकि राज्यों के बक्क बोर्ड ठीक तरह से काम करें? क्या मंत्री महोदय इस सम्बन्ध से कोई मम्मिलित कानून बनाने की कोशिश करेंगे? मंत्री महोदय अपने जवाब में कहेंगे कि यह राज्य सरकारों का विषय है। लेकिन फिर भी वह इस प्रकार के निर्देश दें कि सभी राज्यों में एक सख्ती व्यवस्था हो, और सभी यह महसूस कर सकें कि विभिन्न राज्यों में इस बारे में कोई अदृष्टाव या भिन्नता

श्री लक्ष्मी नारायण [पांडेय]

नहीं है। तथा बक्क जो कई मामलों में अपने को असहाय पाते हैं सज्जतापूर्वक काम कर सकें।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कीडरमा)  
सभापति महोदय, मैं इस बिल के सदर्थ में केवल एक दो प्रश्नों की और मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

हर राज्य में बक्क बाढ़ काम कर रहे हैं, लेकिन उन का काम सतोषजनक नहीं है। मैं बिहार का उदाहरण देना चाहता हूँ। ऐसा लगता है कि वहाँ के बोर्ड को कोई देखने वाला नहीं है। जहाँ तक बक्क की प्रापटी का सम्बन्ध है, यह देखा गया है कि बक्क बोर्ड किसी व्यक्ति का मकान किराये पर देता है, लेकिन वह व्यक्ति किसी दूसरे को उपादा किराये पर सबलेट कर देता है और खुद मुनाफा कमाता है। इस तरह की और भी बहुत सी बातें हैं। बक्क बोर्ड का आर्गनाइजेशन भी दाषपूर्ण है। एन एच अधिकारी को बाग-बाग नामीनेट किया जाता है, और इस प्रकार वह बहुत लम्बे समय तक अपने पद पर बना रहता है। इस लिए बोर्ड को रीस्ट्रक्चर करने के लिए एक सैल बनाना चाहिए। इस को देखना चाहिए कि किस तरह से बक्क की फरशानिग बहुत अच्छी हो और कारगर रूप में जो बक्क का उद्देश्य है उस की पूर्ति हो और उस का ठीक से उपयोग हो। उसका जितना लाभ जिसको होना चाहिए उसको वह हो सके। यह ठीक से होता नहीं। कुछ लोग बनें हैं ना मठाधीश की तरह जमकर बैठे हैं। इसलिए इस के ऊपर फिर से विचार करने की जरूरत है और इस को रिवाइज करने की बहुत आवश्यकता है। मैं चाहूँगा कि मंत्री महोदय इसपर मुझे आश्वासन देंगे कि उम दिशा में कोई कार्यवाही करेंगे।

श्री बंसत साठे (अकोला) सभापति महोदय, मैं केवल एक सवाल पूछना चाहता

हूँ। आप ने कहा कि 1980 तक आप एक्सटेंशन मांग रहे हैं तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं इस दरम्यान आप का जो कुछ सर्वे बगैरह का काम है वह पूरा हो जायगा और जो रेकमेडेशन आप के पास कमेटी की आ गई है उन पर गौर पूरा हो जायगा और तब तक आप कोई अमेडमेंट ऐक्ट मुकम्मिल तरीके से इस सारे कानून में ले आएंगे ? जो तरमीम आप को इस में लानी है वह आप तब तक ला सकेंगे ? क्योंकि जैसे कि हमारे दोस्तों ने प्रश्न किया आज बहुत गड़बड़िया बक्क कानून में हो रही है और जैसे कि दूसरे ट्रस्ट में और दूसरे कानूनों हैं उसमें तरह से यहाँ भी मठाधीश लोग बन गये और कायम हो गए। दिल्ली में भी है, आप जानते हैं और उस के नीचे हर तरह की हरा फेरी, अफरा-तफरी हो रही है। पैसे का कोई हिसाब नहीं, जायदाद का कोई हिसाब नहीं। यदि जो सारे मामले हो रहे हैं इस को ठीक करने के लिए जाकानून में तरमीम करना चाहते हैं क्या 1980 के पहले या हा मके ता उस के भी पहले ऐसी तरमीम आप लाएंगे, यह आश्वासन आप इस सदन का देग ? यही मेरी दरखास्त है।

श्री केशवराव घोडने (नांदेड) : सभापति महोदय, मैं आप के माध्यम से मंत्री महोदय से गुजारिश करूँगा कि बक्क का जो कारोबार है वह सेटल गवर्नमेंट का और, छोड़ दीजिए, लेकिन महाराष्ट्र राज्य के अन्दर का जो हमारा तर्जबा है वह बहुत ही बुरा है। बक्क की प्रापट भाले गीमत की प्रापटी बन चुकी है। जैसे कि कोई पनाहगाजी होता है वैसे वह बक्क की प्रापटी पनाहगाजी बन चुकी है। इस के लिए कोई वारिस है या नहीं ? जिस के हाथ में डडा है वही उसका मालिक बन जाता है। जैसे बड़े-बड़े मदिरों की प्रापटी चन्द पुजारियों के नाम से हो गई। वही हाल इस का भी है। खुद मेरे बहादुरपुरा गांव के अन्दर एक सार्वजनिक बिट्टल मन्दिर है, उस का पुजारी एक नरहरी अट्टेबवार बा ।

उस ने खुद अपने को नरहरि बिठोबा बनाकर बिठोबा को ही बाप बना दिया और पूरी प्रापटी जमीन हज्ज व जस्त कर ली। इसी तरह से कई काजी और मुल्ताघी ने, दरगाहों की जमीन के नाम से हजारों एकड़ की जमीन भी, कोई इनामी जमीन भी, उस इनामी जमीन को उन्होंने करोड़ों कर दिया और खुदा और मस्जिद और मजहब के नाम से उस प्रापटी को माले मनीमत समझ कर लूट लिया। तो ऐसा कोई कानून होना चाहिए। जिन लोगों ने मजहब के नाम पर इस प्रापटी का नाजायज फायदा उठा कर किसी को लूटा है तो हम में तरसीम होना बहुत जरूरी है। मंदर साहब इस के साथ साथ मैं यह और गुजारिश करूंगा कि यह बक्क का जो मसला है वह बहुत नाजुक मसला है। इसकी जितनी प्रापटी है वह नोटिस में गजेट में प्रानी चाहिए। आज बक्क बोर्ड यह देता है कि हमारी प्रापटी इतनी है बम खत्म हो जाता है। अगर कोई दूसरा आदमी कहता है कि यह प्रापटी उस की नहीं है तो वहा पर फिकायरस्ती का झगड़ा पैदा हो जाता है। यह गलत बात है। मैं आप व माध्यम से सरकार को गुजारिश करूंगा कि ऐसा बक्क कानून हो जिस के द्वारा किसी के साथ नाइसाफी न हो और जिस मकसद के लिए एक मवेबल और इम्पूबल प्रापटी रखी गई है उसके लिए सही और जायज तौर से उस का इस्तेमाल हो। अफसोस की बात है कि बक्क की ऐसी लाखों करोड़ों रुपए की दौलत है मगर जिस मकसद के लिए रखी गई है उस मकसद के लिए उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है बल्कि बड़े बड़े जो दलाल हैं, वे दलाल ही उस का इस्तेमाल करते हैं और उस मजहब को, उस मंदिर को, उस मस्जिद को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैं यह कहूंगा कि जो भगवान को और परवरदिगारे आलम को भी रहन और गिरवी रखना चाहते हैं, उस को लूटने का साधन बनाना चाहते हैं उनके बागे में सजा देने की भी आपने कानून में कोई चीज

होनी चाहिए। जो आदमी, जो मुल्ता या काजी मजहब के नाम पर ईस्तेमाल इसका करे उस को भी सजा मिलना बहुत जरूरी है। वरना बक्क की प्रापटी चोरों की प्रापटी बन जाएगी और झगड़े ज्यादा बढ़ेंगे।

15 00 hrs.

खुदा के नाम पर कई एकड़ जमीने होती हैं जबकि उसने बन्दे खेतिहर मजदूर है, किसान है। उसका जमींदार है खुदा और उसके पुजारी उसके जमींदार होते हैं जबकि उनके भक्त भूमिहीन हैं। लिहाजा मैं गुजारिश करूंगा कि इस तरह की प्रापटी का जो आज भी नाजायज फायदा उठया जा रहा है और इस तरह की प्रापटी के नाम पर सियासत खेती जा रही है दूसरे मजहब के साथ भी नाइसाफी की जा रही है। और मजहब के नाम पर जो चल रहा है उसको हम तोड़ना चाहते हैं या नहीं? मुझे फख है कि महाराष्ट्र में पंढरपुर के बिठोबा मन्दिर के नेशनलाइजेशन के बारे में और वहा के पुजारियों को हटाने के लिए एक कमीशन मुकर्र किया गया जिनके सदर थे बैरिस्टर भतुले साहब जो कि एक मुसलमान हैं। मुझे फख है कि मैं भी उस कमेटी में मौजूद था। एक मुसलमान होने के बावजूद भतुले साहब वहा पर सदर हो सकते हैं लेकिन बक्क बोर्ड में—हालाकि हम जमहरियत का, समाजवाद का सम्मूलरिज्म का, नाम लेते हैं—हिन्दुओं का एक भी मुआहिन्दा नाकारिबल बर्दाश्त है, हम कूफ बन जाते हैं। हालात के लिहाज से और जमाने की सबदीली के लिहाज से एक हिन्दू को भी आप उसमें लीजिए ताकि वह भी अपने छयालात का इजहार कर सके। हिन्दू मुसलमान भाई भाई हैं। मुहरम में वे मदद करते हैं, सवारी पकड़ते हैं अक्काफ के कानून से

[श्री केशवराव बोडले]

वरणाह मे हम चल सकते हैं, हमारे उर्स, सड़क, मसजिद, रोड, चलता है, मोर्चे चलत हैं लेकिन एक् हिन्दू के आने से बक्क बोर्ड आतरे मे आ जाता है। यह भ्रजीब बात है। लिहाजा मेरी गुजारिश है भ्रजहब के नाम पर खुश के नाम पर जो प्रापटी है उसका नेशनलाइजेशन करना बहुत जरूरी है। मैं गुजारिश करूंगा कि किसी मस्जिद या मस्जिद के नाम से आप प्रापटी मत रखें। इस चीज को आप खत्म करे और साजवादी दृष्टिकोण से जमहूरियत की बुनियाद रखने हुए ऐसी प्रापटी की मिल्कियत मे किसी काजी या मुल्ला को मत रखें बल्कि पूरी कोम को रखें। वही उस की मालिक है। उस के लिए एक ऐमा बोर्ड कायम करे जिसमे हर भ्रजहब और मिल्कत के लोग रहे और इस्लाम का जो बुनियादी फलफा है वह भी टूटने न पाये। अगर इस तरह को कोई तरसीम बक्क एक और बोर्ड मे नही होती है तो उसका मतलब है कि हम भी वही चाल चल रहे हैं। जो पहले चलने थे। सन् 1980 तक आपने एक्सटेशन दिया है लेकिन उसके बाद दोबारा वही चीज न हो। जो इरैग्युलैरिटीज हा चुकी है वह दुस्त हो और बक्क व क्वालीन का और बोर्डों का यूनिफिकेशन एंड आउट इडिया करने की बहुत जरूरत है। क्योंकि यह जमाने की माग है। इतना ही कहकर मैं आपने इजाजत लेना हूँ। जय क्रांति।

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास भंजी (श्री सिकन्दर बल्ल) : सदर साहिब, मैं आनरेबिल मेम्बर का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी वाक्फियत मे बहुत इजाफा किया लेकिन इस वक्त जो बिल था, मैंने पहले भी भर्ज किया बहुत भीमित मकसद से सिर्फ दिल्ली की लिगिजेशन के एक्सटेशन के लिए जेरे गीर

था। महाराष्ट्र मे क्या हो रहा है उसको बताने के लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, मेरी वाक्फियत मे उससे बहुत इजाफा हुआ है। मैं दोबारा दोहराना चाहता हूँ कि सेन्ट्रल बक्क कौंसिल मे हमारी पूरी कोशिश होगी लेकिन इस दफा जो एक्सटेशन कराया है उसमे दोबारा इजाफा करने की जरूरत पेश न आवे। बक्क बोर्ड के रिआर्गनाइजेशन का जहां तक मसाल है वह बक्क ऐक्ट के मातहत है लेकिन दिल्ली बांड का जहां तक ताल्लुक है उसका टर्न अगस्त 1978 मे खत्म हो रहा है। यह ठीक है अगर इक्वायरी बगैरह की जाये तो उसको सुपरसीड किया जा सकता है लेकिन 4-6 महीने के लिए हम किस्म की सरत अमल मे लाई जाये, मे मसलता हूँ गैर जरूरी है। हर बक्क बोर्ड का बक्क ऐक्ट के मातहत रिआर्गनाइजेशन होगा और जा आनरेबल मेम्बर की तजरीजे है, जो सजेम्बन है, उन को जरूर गीर रखा जायेगा जहा तक कानून को बदलने का ताल्लुक है मैं पहले भर्ज कर चुका हूँ कि जो कमेटी बनाई गई थी, उसकी सिफारशात जेरेगीर है और कोई फील्ल हांन ही उस पर अमल हागा। यह लिमिटेशन 31 दिसम्बर, 1980 तक की है, यह कमेटी की रिक्मैण्डेशनज से जुड़ी हुई नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह बिल पास कर दिया जायेगा।

MR CHAIRMAN The question is:

"That the Bill be passed"  
The motion was adopted